

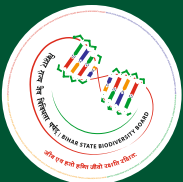
जैव विविधता प्रबंधन मार्गदर्शिका



ग्रामीण एवं नगर निकाय स्तर पर गठित

जैव विविधता प्रबंधन समिति

के गठन, संचालन एवं क्रिया - कलापों संबंधी अनुदेश पुरितका



बिहार राज्य जैव विविधता पर्वद्

(पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, बिहार सरकार)



जैव विविधता

जैव विविधता हमारी धरोहर, हमारा धन, हमारी जिम्मेदारी

“ राज्य पर्यावरण की रक्षा और सुधार करने तथा देश के वनों और वन्यजीवों की रक्षा करने का प्रयास करेगा। ”

भारतीय संविधान का अनुच्छेद 48 'ए'

“ भारत के प्रत्येक नागरिक की जिम्मेदारी है कि वे प्राकृतिक पर्यावरण जैसे— जंगल, झीलें, नदियाँ एवं वन्य जीवों की रक्षा तथा सुधार के प्रयास करें तथा समस्त जीवित प्राणियों के प्रति दया भाव रखें। ”

भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51 'ए'

जै व वि वि ध ता

स्वस्थ पारितन्त्र संरक्षित पर्यावरण

संदेश

जैव विविधता संरक्षण की महत्ता से हम अच्छी तरह से वाकिफ हैं।

यह भी ध्यान देने की बात है कि व्यापक पैमाने पर जैव विविधता संरक्षण को फलीभूत करना पंचायती राज संगठन की प्राथमिक जिम्मेवारी है, जिसके लिये समस्त ग्रामीण तथा नगरक्षेत्र के पंचायती निकायों में जैव विविधता प्रबन्धन समितियाँ गठित की गयी हैं।

बिहार राज्य जैव विविधता पर्षद् द्वारा सभी जिलों में वन प्रमण्डलों के माध्यम से जैव विविधता प्रबन्धन समितियों की सक्रियता और सक्षमता विकसित करने हेतु आगामी महीनों में प्रशिक्षण कार्यशालाएँ आयोजित की जा रही हैं।

हमें आशा है कि जैव विविधता प्रबन्धन समितियाँ इन प्रशिक्षण कार्यशालाओं से भरपूर लाभान्वित होकर अपने क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रेरक क्रिया-कलाप प्रारम्भ करेंगी। यह मार्गदर्शिका इस प्रयोजनार्थ ज्ञानप्रद और व्यावहारिक रूप से उपयोगी होगी।

पर्षद् के इस कार्यक्रम में राज्य सरकार के सम्बन्धित विभागों तथा वन प्रमण्डल पदाधिकारियों का सहयोग और समर्थन उत्साहवर्धक और आभारपूर्ण प्रशंसनीय है।

भारत ज्योति

अध्यक्ष,

बिहार राज्य जैव विविधता पर्षद्

प्रस्तावना



जैव विविधता पृथ्वी पर जीवन के अस्तित्व का आधार है, और इसका संरक्षण एवं प्रबंधन हमारी साझा जिम्मेदारी है। बिहार राज्य जैव विविधता पर्षद के मार्गदर्शन में, इस दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। यह पुस्तिका बिहार राज्य के जैव विविधता प्रबंधन समितियों (बी.एम.सी.) के सदस्यों के लिए दिशानिर्देश प्रदान करने हेतु तैयार की गई है, ताकि जैव विविधता के संरक्षण, सतत उपयोग और इससे जुड़े पारंपरिक ज्ञान को संरक्षित करने में उनकी भूमिका स्पष्ट हो सके।

इस पुस्तिका में दिए गए दिशानिर्देशों का उद्देश्य जैव विविधता अधिनियम, 2002 के प्रावधानों के तहत समितियों को उनके कार्यों एवं दायित्वों की जानकारी देना है। इसके माध्यम से समितियों को यह बताया गया है कि किस प्रकार से वे अपने स्थानीय स्तर पर जैव विविधता का संरक्षण कर सकती हैं और इस प्रक्रिया में स्थानीय समुदायों की भागीदारी सुनिश्चित कर सकती हैं। साथ ही, यह पुस्तक जैव संसाधनों के सतत उपयोग और राज्य स्तर पर जैव विविधता के समग्र प्रबंधन में सहायता प्रदान करती है।

हम आशा करते हैं कि यह पुस्तक बी.एम.सी. के सदस्यों के लिए एक महत्वपूर्ण साधन साबित होगी, जो न केवल उन्हें उनके कर्तव्यों और दायित्वों को समझने में मदद करेगी, बल्कि उनके द्वारा जैव विविधता संरक्षण के प्रयासों को और भी सशक्त बनाएगी।

मुझे विश्वास है कि बिहार के सभी जिलों एवं पंचायतों में कार्यरत जैव विविधता प्रबंधन समितियाँ इस पुस्तिका का प्रभावी ढंग से उपयोग करेंगी और जैव विविधता के संरक्षण के प्रति अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करेंगी।

डॉ. के. गणेश कुमार, भा.व.से.

सचिव,

बिहार राज्य जैव विविधता पर्षद

विषय-तालिका

क्र०सं०	विषय-तालिका	पृष्ठ संख्या
1	भूमिका	1
2	जैव विविधता – परिचय, परिभाषा, मायने और संदर्भ	2 – 9
3	जैव विविधता अधिनियम – केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित जैव विविधता नियमावली।	10– 17
4	जैव विविधता प्रबंधन संरचना	
5	बिहार राज्य जैव विविधता पर्षद् – गठन एवं दायित्व	
6	स्थानीय निकाय	
7	जैव विविधता प्रबंधन समिति (BMC) – गठन – अध्यक्ष एवं अन्य सदस्यों का चुनाव – बी०एम०सी० का कार्यकाल – बी०एम०सी० की बैठक एवं संचालन – बी०एम०सी० की भूमिका एवं उत्तरदायित्व – बी०एम०सी० के अधिकार – स्थानीय जैव विविधता निधि का प्रबंधन – लोक जैव विविधता पंजी का संधारण	
8	– जैविक संसाधन तक पहुँच, वाणिज्यिक उपयोग एवं लाभ का प्रबंधन	
9	– विवादों के निपटारे के लिए अपील	
10	– जैव विविधता विरासत वृक्षों एवं जैव विविधता विरासत स्थलों की घोषणा	
11	जैव विविधता प्रबन्धन समितियों के लिए अपने पंचायतों/नगर क्षेत्रों में जैव विविधता सम्बन्धी कुछ व्यावहारिक तथ्य एवं किये जाने वाले क्रिया-कलाप – आवश्यकता, अवसर और चुनौतियाँ	18 – 22

भूमिका

जैव विविधता प्रकृति की जैविक संपदा और समृद्धि का सम्पूर्ण स्वरूप है। इसकी सतत उपलब्धता सम्पूर्ण मानव जाति के आर्थिक, सामाजिक तथा वैज्ञानिक विकास के लिए महत्वपूर्ण है। यह मनुष्यों को उनकी बुनियादी जरूरतों – जैसे भोजन, आश्रय तथा औषधीय आवश्यकताओं की पूर्ति करने के साथ पोषक चक्र को गतिमान रखने में कारक है। इसके अतिरिक्त जैव विविधता पर्यावरण प्रदूषण के निस्तारण तथा प्राकृतिक आपदाओं के रोधक के रूप में भी सहायक है। अतएव जैविक विविधता, जो वर्तमान तथा भावी पीढ़ियों के लिए वैश्विक (Global) सम्पत्ति है, का संरक्षण एवं संवर्धन पूरे विश्व के लिए सर्वोच्च प्राथमिकताओं में से एक है।

पृथ्वी पर उपलब्ध जैव विविधता लगभग 400 करोड़ वर्षों के विकास का परिणाम है। विगत कुछ दशकों में जैविक धन के निरंतर क्षय से मनुष्य के अस्तित्व पर ही गम्भीर खतरा उत्पन्न हो गया है। पर्यावरण वैज्ञानिकों के एक आकलन के अनुसार जलवायु परिवर्तन की वर्तमान रफ्तार से आज की उपलब्धता की 30% प्रजातियाँ वर्ष 2050 तक विलुप्त हो जायेगी। वैज्ञानिकों द्वारा इस क्षय को छठी बड़ी विलुप्ति (Sixth mass extinction) की संज्ञा दी गयी है। जहाँ पूर्व की पाँच बड़ी विलुप्तियों का कारण प्राकृतिक था, वहीं वर्तमान संकट मानव जनित यथा भूमि, पानी और ऊर्जा के असंवहनीय उपयोग और जलवायु परिवर्तन है। विलुप्त होने की तीव्र गति के कारण इन प्रजातियों की समाप्त होने की अवधि भी अत्यन्त कम है। अतः समय रहते जैव विविधता संरक्षण को नहीं अपनाया गया तो समस्याओं की गम्भीरता इतनी बढ़ जायेगी कि उन्हें पुनः वर्तमान स्वरूप में लाना सम्भव नहीं रह जायेगा।

जैव विविधता संरक्षण एवं जैव संसाधनों तक पहुँच एवं उसके संप्राप्त लाभों का साम्यपूर्ण हिस्सेदारी तथा इनसे संबंधित देशज पारम्परिक ज्ञान का देश के भीतर एवं वैश्विक स्तर पर उपयोग को प्रावधानित करने हेतु जैव विविधता अधिनियम, 2002 एवं इसके प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए केन्द्र एवं राज्य सरकार द्वारा नियमावली अधिसूचित किये गये हैं।

अतएव जैव विविधता की महत्ता के आलोक में नीति, कानून एवं जन चेतना तथा जन सहयोग से व्यापक स्तर पर कार्रवाई आवश्यक है। इनमें स्थानीय लोकनिकायों की भूमिका अग्रणी है। जैव विविधता के ह्रास का निदान और निवारण स्थानीय भौतिक और जैविक संसाधनों का सूझ-बूझ के साथ प्रशासन तथा प्रबन्धन में पंचायती राज व्यवस्था अन्तर्गत इन निकायों की जिम्मेदारी भी है एवं उनके लिये व्यावहारिक स्तर पर चुनौतियाँ और अवसर भी उपलब्ध हैं। इसी परिप्रेक्ष्य में जैव विविधता सम्बन्धी कानून में पंचायती निकायों के लिये विशेष प्रबन्धन समिति का गठन कर उनके लिये अधिकार और कर्तव्य का प्रावधान किया गया है।

इस मार्गदर्शिका में जैव विविधता प्रबन्धन समितियों के लिये इस विषय से सम्बन्धित संदर्भ परिचय, प्रासंगिक वैधानिक प्रावधानों का उल्लेख तथा उनके लिये व्यावहारिक स्तर पर चुनौतियों और अवसर को वर्णन का प्रयास किया गया है। अपेक्षा है कि यह मार्गदर्शिका जैव विविधता प्रबन्धन समितियों के लिये उपयोगी होगी।

“जैव विविधता”

I. परिचय, परिभाषा, मायने और संदर्भ

परिचय

जैव विविधता: पेड़-पौधों एवं जन्तुओं तथा इनसे सम्बन्धित जैविक एवं भौतिक पहलुओं की विविधता के बारे में मनुष्यों की जानकारी हमेशा से रही है, भले ही **जैव विविधता** शब्द का प्रयोग 20वीं सदी के अन्तिम दशक में सामान्य रूप से होने लगा। इसका कारण यह है कि विगत कुछ शताब्दी में मनुष्यों द्वारा प्राकृतिक व्यवस्थाओं में छेड़-छाड़ बढ़ता गया तथा पिछली सदी से पर्यावरण का बिगड़ाव मनुष्यों के लिये गंभीर समस्या और चुनौती के रूप में सामने आने लगा, जो अभी तक जारी है।

वायु एवं जल का प्रदूषण, जल संसाधन की समस्या, मिट्टी की उर्वरता, जलीय चक्र एवं सम्बद्ध प्रक्रियाओं में असंतुलन, जलवायु परिवर्तन इत्यादि की समस्याएं विकराल रूप लेने लगीं।

इन सबके सम्बन्ध में वैज्ञानिक अध्ययन और सूझ-बूझ से यह तथ्य उजागर हुआ कि पर्यावरण के बिगड़ाव में मानवीय कारणों से पारिस्थितिकीय असंतुलन अथवा पारितंत्रों का खराब होना शामिल है। यह भी ध्यान में आया कि हरेक भू-भाग के पारिस्थितिकीय संतुलन तथा पारितंत्रों के स्वास्थ्य का एक मुख्य आधार वहां उपलब्ध पेड़-पौधों एवं जन्तुओं तथा इनसे सम्बन्धित जैविक एवं भौतिक पहलुओं की प्राकृतिक या स्वाभाविक भिन्नताएं एवं विविधता है। ऐसी समझदारी होने पर **जैव विविधता** की अवधारणा प्राकृतिक व्यवस्था, पारिस्थितिकीय संतुलन तथा पर्यावरण संरक्षण के संदर्भ में एक मुख्य विषय-वस्तु के रूप में चर्चित होने लगी।

पारिस्थितिकी एवं पारितंत्र: जैव विविधता की चर्चा करने में पारिस्थितिकी या पारितंत्र के विषय वस्तु को ध्यान में रखना स्वाभाविक है। **पारिस्थितिकी और पारितंत्र** जीव-जन्तुओं एवं भौतिक परिवेश तथा व्यवस्थाओं का आपसी सम्बन्ध एवं उनके मध्य क्रिया-प्रतिक्रिया के विषय-वस्तुओं की वैज्ञानिक संज्ञा हैं, जो आज सामान्य चर्चा एवं विचार विनिमय में प्रचलित हैं। इनकी अवधारणा भी **जैव विविधता** की अवधारणा के साथ-साथ हुई।

परिभाषा और मायने

जैव विविधता से तात्पर्य पृथ्वी पर जीवन की विविधता और परिवर्तनशीलता (Diversity & Dynamism) से है। ‘जैव विविधता’ दो शब्दों से मिलकर बनी है:—

- जैविक— जिसका अर्थ है जीवन या जीवों से संबंधित तत्व या अवयव, और
- विविधता— अर्थात् भिन्नताएं।

सरल रूप में जैव विविधता को किसी निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में पाये जाने वाले प्रजातियों की बहुतायत और उनमें पाये जाने वाली भिन्नताओं से समझा जा सकता है।

जैव विविधता के स्तर :—

1. प्रजातीय विविधता (Species Diversity) — इसका संबंध सभी जीवों— पेड़-पौधों, जन्तुओं तथा जीवाणु के प्रकार, प्रजातियों की संख्या, प्रजातियों के बीच की नस्लों की भिन्नताएं तथा किसी प्रजाति के अन्तर्गत भी भिन्नता से है। यह प्रजातियों की संख्या और वितरण को दर्शाता है।

किसी क्षेत्र में प्रजातियों की संख्या विभिन्न पर्यावरणीय और पारिस्थितिकीय अवस्थाओं एवं गुणों के आधार पर व्यापक रूप से भिन्न होती है।

2. पारितंत्र एवं समुदाय विविधता (Ecosystem and community diversity) – यह किसी विशेष क्षेत्र में पारिस्थितिकी तंत्रों के बीच देखी गई विविधता को परिभाषित करता है। समुद्री क्षेत्र, समुद्र तटीय क्षेत्र, नदी एवं आर्द्रभूमि, मैदानी क्षेत्र, पठारी क्षेत्र, उच्च पहाड़ी क्षेत्र, रेगिस्तान, शुष्क क्षेत्र, नम जलवायु वाले क्षेत्र, मैंग्रोव, वर्षावन के भू-भाग की पारिस्थितिकी तंत्र में विशेष भिन्नताएं होती हैं। इस स्तर के अन्तर्गत ही किसी भू-भाग में उपलब्ध अधिवासों में भी भिन्नताएं होती हैं। इन भिन्नताओं के फलतः वहां के वनस्पति और जीव-जन्तुओं के समुदाय की संरचना में भी भिन्नता होती है, जो जैव विविधता में परिलक्षित होता है।

3. आनुवांशिकी विविधता (Genetic diversity) – सूक्ष्म स्तर पर जीवन की मूल संरचना के आनुवांशिकी घटकों में विविधता और उनमें परिवर्तनशीलता से भी जैव विविधता का सम्बन्ध है।

- साथ ही प्रजाति स्तर, पारितंत्र स्तर तथा आनुवांशिकी स्तर के पारस्परिक सम्बन्ध या क्रिया-प्रतिक्रिया से भी जैव विविधता प्रभावित होती है।
- सभी प्रकार के भू-भागों की जैव विविधता बहुत से कारकों से प्रभावित होती है। किसी भू-भाग की जैव विविधता की पुष्टता का आकलन उक्त भू-भाग के स्वाभाविक स्वरूप, भौगोलिक और जलवायु पारिस्थितियाँ तथा ऐतिहासिक घटनाक्रम के कारकों से किया जाना चाहिये।

जैव विविधता के आयामों की सहज पहचान के लिये वर्गीकरण

(क) वन्य प्रकृति की जैव विविधता – इसमें प्राकृतिक एवं अर्द्ध-प्राकृतिक अवस्था के भू-भाग जिनमें जंगल, पहाड़, पठार, मरुभूमि, नदी, झील इत्यादि के जलीय स्थल, आर्द्रभूमि, समुद्री क्षेत्र, समुद्र-तटीय क्षेत्र, इत्यादि सम्मिलित हैं।	
वानस्पतिक जैव विविधता (Floral Biodiversity)	वनस्पतिकीय विविधता – विभिन्न प्रकार के वृक्ष एवं पौधे, लताएं, घास, जड़ी-बूटी, कन्द-मूल इत्यादि की विविधता
जन्तु जैव विविधता (Faunal Biodiversity)	जानवरों-जन्तुओं की विविधता
(ख) सघन मानवीय उपयोग वाले भू-भाग अथवा मानवीय प्रभाव एवं प्रबन्ध वाले पारितंत्र क्षेत्रों की जैव विविधता	
(i) कृषि एवं अनुशांगी भूमि उपयोग में जैव विविधता (Biodiversity of Agro-ecosystems)	
(क) कृषि फसलों की जैव विविधता Biodiversity in agricultural crops	विभिन्न प्रकार की फसलें जैसे अनाज, तिलहन, दलहन इत्यादि की प्रजातियों एवं उनके प्रभेदों की भिन्नताएं
(ख) फल एवं शाक-सब्जी की जैव विविधता Biodiversity in horticulture	फूल, फलों, शाक-सब्जी इत्यादि की विविधता
(ग) पालतू पशु जैव विविधता Biodiversity in livestock	इसके अंतर्गत पालतू पशुओं एवं उनके नस्लों की विविधता

(ii) शहरी भू-भागों में जैव विविधता Biodiversity in Urban landscapes

शहरी क्षेत्र आमतौर पर सघन रूप से मानवीय उपयोग में भवन, सड़क एवं अन्य संरचनाओं से भरे होते हैं एवं इनकी जैव विविधता वृक्षों, बाग-बगीचों, झील और तालाब तथा कहीं-कहीं नदी तट पर अवस्थित वनस्पति, पक्षी एवं छोटे वन्य जन्तुओं की उपलब्धता से संरक्षित होती है।

(ग) जैव विविधता के अन्य स्वरूप

इनके अलावे जैव विविधता के विशेषज्ञ अध्ययन हेतु जलीय पारितंत्र की जैव विविधता (aquatic biodiversity) सूक्ष्म जीवाणुओं की विविधता (microbial biodiversity) तथा मिट्टी में जैव विविधता (soil biodiversity) की चर्चा होती है।

II. संदर्भ: वर्तमान समय में जैव विविधता की महत्ता एवं उपयोगिता

■ पारिस्थितिकीय संतुलन एवं पर्यावरण हित: जैव विविधता का संरक्षण तथा पुनर्स्थापन क्यों आवश्यक ?

पृथ्वी पर मानव सहित सभी जीवों के जीवन चक्र की प्रक्रिया को सहज रूप से संचालित करने में जैव विविधता की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। स्वस्थ पारितंत्र तथा पर्यावरण की अच्छी स्थिति के लिये जैव विविधता एक मुख्य आधार है।

- किसी भू-भाग में जैव विविधता की स्थिति अच्छी रहती है तो वहां के पारितंत्र में लचीलापन और प्रतिकूल आघातों को झेल कर संतुलन बहाल करने की क्षमता ज्यादा होती है।
- यह भी पाया गया कि पर्यावरण तथा पारितंत्र पर विगत सदी में मानवीय प्रतिकूल आघातों से जीव जन्तुओं, उनके समुदायों तथा अधिवासों एवं उनसे सम्बन्धित पारितंत्र की विविधता तेजी से घटने लगी। फलस्वरूप पर्यावरणीय समस्याएं तेजी से बढ़ने लगीं तथा उनमें स्वतः सुधार होने की क्षमता घटने लगी। यह चिंताजनक स्थिति कमोवेश आज भी जारी है।

अतएव यह स्थापित तथ्य है कि जैव विविधता को सभी भू-भागों में प्राकृतिक एवं स्वाभाविक अवस्था में उपयुक्त रूप से बहाल करना पर्यावरणीय बिगड़ाव को दूर करने का सबसे प्रभावी उपाय है।

- मिट्टी की क्षीण उर्वरा शक्ति को वापस लाना हो, जल संसाधन का संरक्षण अथवा उचित प्रबन्धन हो, जलवायु परिवर्तन के आघातों को कम करना हो, पोषण सुरक्षा की व्यवस्था करनी हो, ऐसे सभी समस्या के पहलुओं पर वांछित जैव विविधता को संरक्षित कर तथा उन्हें प्राकृतिक स्थिति के उपयुक्त स्तर पर बहाल करना प्रभावी होता है।

जब तक पृथ्वी पर जानवरों-जन्तुओं, पशुओं, वनस्पति के साथ सूक्ष्मजीवों की वृहत श्रृंखला विद्यमान नहीं रहेंगी, हमें स्वस्थ पारितंत्र उपलब्ध नहीं हो सकेगा, जिसके माध्यम से जल, वायु और भोजन की सुनिश्चितता बनती है।

अतः जैव विविधता की भूमिका बहुआयामी है। इन आयामों एवं मानवीय समाज की आवश्यकताओं तथा अर्थव्यवस्था में संवहनीय उत्पादन व्यवस्था हेतु उपयुक्त स्तर की जैव विविधता का विद्यमान रहना जरूरी है। इन्हीं आधारों पर इनका संरक्षण और पुनर्स्थापन आवश्यक है। पारितंत्र एवं पर्यावरण संरक्षण की महत्ता को निम्नांकित रूप से संक्षेपित किया जा सकता है :-

पर्यावरणीय आयाम	मानवीय समाज की आवश्यकताओं की पूर्ति
➤ प्राकृतिक चक्रों में जैव विविधता का सम्बन्ध तथा पारितंत्रों का संतुलन ➤ जल संसाधन का संरक्षण, जलचक्र का संतुलित रहना ➤ मिट्टी का संरक्षण और उर्वरा शक्ति ➤ प्रदूषण निवारण ➤ जलवायु परिवर्तन के कारणों को कम करने की क्षमता	➤ खाद्य उत्पादन क्षमता की सुरक्षा ➤ संतुलित पोषण की व्यवस्था ➤ जलवायु परिवर्तन की आघातों का समाधान ➤ सेहत और स्वास्थ्य—चिकित्सीय और मनोचिकित्सीय ➤ प्रकृति का सौंदर्यबोध और प्रकृति पर्यटन ➤ सांस्कृतिक, धार्मिक—आध्यात्मिक मूल्य ➤ पर्यावरण हितैषी उत्पादों का श्रोत

■ जैव विविधता के तेजी से घटने के प्रमुख कारण

हाल के वर्षों में जैव विविधता में खतरनाक दर से गिरावट आई है, जिसका मुख्य कारण निम्न मानवीय गतिविधियाँ हैं :—

(i) प्राकृतिक अधिवासों का संकुचन एवं इनका अवकृष्ट होना (Habitat loss and degradation) :— औद्योगिक, शहरीकरण, सड़क, रेल, विद्युत संरचना इत्यादि के विस्तार जैसी गतिविधियों के कारण प्राकृतिक भू-भाग एवं स्थलों (नदी, जंगल, झील एवं आर्द्रभूमि इत्यादि) के क्षेत्र में कमी, मिट्टी का क्षरण, प्रदूषण में बढ़ोत्तरी से पारिस्थिकी तंत्रों और उनसे जुड़े जीव-जन्तु एवं वनस्पति के प्रजातियों तथा प्राकृतिक समुदायों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। इन सभी से जैव विविधता का नुकसान होता है। कई प्रजातियाँ एवं कुछ समुदाय ही विलुप्त हो जाते हैं।

(ii) आक्रामक विदेशी प्रजातियाँ (Invasion by alien species - Biological invasion):—

आक्रामक विदेशी प्रजातियों को दुनियाँ में जैव विविधता के नुकसान का दूसरा सबसे बड़ा कारण माना जा रहा है। ये शिकारियों के रूप में कार्य करते हैं और भोजन के लिए प्रतिस्पर्धा करते हैं। ये काफी तेजी से किसी क्षेत्र में विस्तार कर लेते हैं एवं उस क्षेत्र के स्थानीय प्रजातियों को दबा देते हैं अथवा उनकी आबादी तेजी से घटने लगती है। ये विदेशी प्रजातियाँ देशज एवं स्थानिक प्रजातियों (native, local or endemic species) के साथ संकर बनाते हैं तथा परजीवी और बीमारियाँ लाते हैं। इस प्रकार ऐसी विदेशी प्रजातियाँ असंतुलन पैदा कर पारितंत्र और पर्यावरण को बिगाड़ देती हैं।

(iii) प्राकृतिक पर्यावरण का अत्यधिक दोहन:— प्राकृतिक संसाधनों का अत्यधिक दोहन अर्थात् उनके प्राकृतिक पुनर्जनन की तुलना में अधिक गति से उनका उपभोग वनस्पति और जीवों की आबादी की स्थिरता को नुकसान पहुंचाते हैं। कई दफा कुछेक प्रजातियाँ एवं कुछ समुदाय ही ऐसे अत्यधिक दोहन के क्षेत्रों से विलुप्त हो जाते हैं।

(iv) जलवायु परिवर्तन:— जलवायु परिवर्तन के आघातों यथा तापमान, वर्षा एवं नमी के मौसमी चक्र में परिवर्तन एवं असंतुलन से जैव विविधता को विभिन्न स्तरों यथा प्रजातियों की बहुतायत, उनकी विविधता और उनका भौगोलिक विस्तार, जनसंख्या गतिशीलता, सामुदायिक संरचना और पारिस्थिकी तंत्र प्रणाली को प्रभावित करता है।

(v) प्रदूषण:— सीवेज, औद्योगिक अपशिष्ट, कृषि एवं वानिकी तथा कचरा एवं ठोस अपशिष्ट के साथ वायु जनित प्रदूषक (अम्लीय वर्षा, वाहन उत्सर्जन, जंगल के आग, लकड़ी के चूल्हे) का जैव विविधता पर कुप्रभाव होता है। अतिरिक्त ऊर्जा का प्रभाव भी जैव विविधता को नुकसान पहुँचाते हैं।

■ जैव विविधता के क्षरण को रोकने के उपाय

जैव विविधता के क्षरण को रोकने के उपायों पर चर्चा के क्रम में संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन (यूनेस्को) के इस आह्वान को आत्मसात करने की आवश्यकता है कि :—

“हम अब जीवन की विविधता को नष्ट नहीं कर सकते।

यह हमारी भावी पीढ़ियों के प्रति जिम्मेदारी है”

संयुक्त राष्ट्र ने सतत विकास लक्ष्यों के माध्यम से प्रतिबद्धताएँ तय की हैं जिनमें **“भूमि पर जीवन”** तथा **“पानी के नीचे जीवन”** जैसे लक्ष्य प्रमुख हैं। इनमें स्थलीय, तटीय, समुद्री और अन्तर्देशीय मीठे पानी के पारिस्थितिकी तंत्र तथा स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र के सतत उपयोग को संरक्षित एवं पुनर्स्थापित करने के उद्देश्य निहित हैं।

ऊपर बताये गये जैव विविधता के घटने के कारणों पर निवारण की व्यावहारिक कार्रवाई करके ही जैव विविधता के घटने को रोका, अथवा घटने की दर को कम किया जा सकता है, एवं यथा सम्भव किन्हीं मामलों में जैव विविधता को बहाल किया जा सकता है। इसके लिये मुख्य रूप से निम्नांकित दिशाओं में कार्रवाई अपेक्षित है—

- प्राकृतिक क्षेत्रों एवं स्थलों का संरक्षण एवं इनके पारितंत्रों का पुनर्स्थापन।
- इन क्षेत्रों का प्रदूषण एवं अन्य प्रतिकूल प्रभावों तथा आघातों से बचाव।
- लुप्त होने वाली वन्य प्रजातियों का संरक्षण एवं यथा व्यावहारिक उनकी आबादी का संवर्धन।
- कृषि, बागवानी, पशुपालन एवं मत्तस्थिकी के उत्पादन व्यवस्था में उपयोगी देसज स्थानिक प्रजातियाँ की पहचान कर उनका संरक्षण एवं उपयुक्त उपायों से संवर्धन।

इन प्रतिबद्धताओं के अलावे हम सभी, व्यक्तिगत एवं सामाजिक स्तर पर जैव विविधता के नुकसान से लड़ने में अपनी भूमिका निभा सकते हैं। ये भूमिकाएँ, जो **पर्यावरण हितैषी जीवनशैली** से सुसंगत हों, में निम्नवत् उदाहरण स्वरूप उल्लेखनीय हैं :—

- **जन-विज्ञान (Citizen science)** में जैव विविधता की जागरूकता के साथ स्थानीय तौर पर सक्रिय पहल।
- प्रदूषण फैलाने वाली छोटी-छोटी गतिविधियों को कम करना।
- संसाधनों का जिम्मेदार उपयोग और रिसाइक्लिंग पद्धतियों—प्रथाओं को प्राथमिकता देना।
- खान-पान में जैव विविधता से सुसंगत शैली को अपनाना।
- प्राकृतिक जैव विविधता के संरक्षण—संवर्धन के उद्देश्य से की जाने वाली सभी कार्रवाई का समर्थन।

■ **जैव विविधता से जुड़े स्थानीय पारम्परिक ज्ञान और कौशल**

खेती-बाड़ी, पशुपालन, जंगल-झाड़ के प्राकृतिक वनस्पति और जीव-जन्तुओं के उपयोग और उपयोगिता से स्थानीय समुदायों की पारम्परिक कौशल तथा ज्ञान जुड़े हैं। इनकी महत्ता भी जैव विविधता की महत्ता से जुड़ी हुई है। अतएव जैव विविधता के संसाधनों के उपयोग में जुड़े स्थानिक पारम्परिक कौशल और ज्ञान (Indigenous Traditional Knowledge & Skills) का संरक्षण भी समसामयिक आवश्यकता है।

■ जैव विविधता और समावेशी एवं समतायुक्त विकास व्यवस्था

प्राकृतिक जैव विविधता के संसाधन स्थानीय समुदाय के जीवन—यापन में विभिन्न प्रकार से जुड़े हैं। इनमें खासकर औद्योगिक, शहरी विकास से लाभान्वित तथा अन्य रूप से आर्थिक सम्पन्नता से अभावग्रस्त वर्ग के जीवन के आधारों में प्राकृतिक जैव विविधता के संसाधन सम्मिलित हैं। अतएव जैव विविधता का संरक्षण तथा उनके संसाधनों के संवहनीय उपयोग की व्यवस्था लागू करना समावेशी और समतायुक्त विकास व्यवस्था के लिये सर्वथा हितकर है।

■ जैव विविधता हेतु सक्रिय चेतना, नीति और कानून

प्रदूषण, वन्यजीव और पर्यावरण के लिये 20वीं सदी के सातवें और आठवें दशकों में विश्व स्तर तथा हमारे देश में चेतना सक्रिय हुई। प्रदूषण, वन्य जीव तथा पर्यावरण की समस्याओं और मुद्दों पर अन्तरराष्ट्रीय समझौते हुए तथा देश में नीति और कानून बनाकर नियामक और प्रोत्साहक कार्रवाई तथा कार्यक्रम बनाये गये।

इसी क्रम में 20वीं सदी के अन्तिम दशक तथा 21वीं सदी के पहले दशक में जैव विविधता के मामलों के लिये भी दुनिया और देश में जागरूकता सक्रिय हुई। अन्तरराष्ट्रीय स्तर पर संयुक्त राष्ट्र संघ के तत्वाधान में 1992 में जैव विविधता पर साझा कार्यक्रम बना जो UN Convention on Biodiversity (CB) के नाम से जाना जाता है।

इसी के अनुसरण में भारत में 2002 में “जैव विविधता अधिनियम 2002 बनाया गया।

III. जैव विविधता संरक्षण के संदर्भ में कुछ व्यावहारिक तथ्य एवं विचार

■ विगत कुछ सदी और दशकों में पारितंत्रों का असंतुलन, पर्यावरणीय परिवेश का बिगड़ना तथा जैव विविधता का घटना हमारी औद्योगिक और आर्थिक विकास प्रक्रियाओं से जाने-अनजाने हुआ। देश के अन्य मार्गों की तरह बिहार राज्य में भी प्राकृतिक क्षेत्रों, स्थलों और इनसे जुड़े जैव विविधता का काफी नुकसान हुआ है।

■ कृषि व्यवस्था में बढ़ती जनसंख्या के लिये पैदावार बढ़ाने की आवश्यकताओं और सिंचाई, रासायनिक खादों और कीटनाशकों का उपयोग तथा अधिक पैदावार वाले फसलों और उनके किस्मों का उपयोग बढ़ने से भी जैव विविधता के अन्तर्गत देसज स्थानिक प्रजातियों की खेती में कमी आई।

■ इन सब परिवर्तनों और प्रक्रियाओं की आवश्यकता कदाचित विगत दशकों में रही होगी और इनको अपनाने में इनके कुप्रभावों के सही आकलन में चूक हुई तथा संतुलित और सामंजित रास्ते नहीं अपनाए जा सके। आज भी आर्थिक विकास तथा कृषि एवं अनुषांगी क्षेत्र की आवश्यकताओं के मद्देनजर जैव विविधता के संरक्षण और पुनर्स्थापन के लक्ष्यों को व्यावहारिक दृष्टिकोण से संतुलित अनुपात में ही अपनाया जा सकता है। विभिन्न विकास तथा आर्थिक और वाणिज्यिक प्रक्रियाओं में जैव विविधता के हितों का व्यावहारिक समायोजन करने के अवसर का निर्माण करना वांछित है। जिन मामलों में जैव विविधता के क्षरण की स्थिति चिन्तनीय है, उनके लिये विशेष उपाय किये जाने हैं।

अतएव प्राथमिकताओं और कार्य-क्षेत्रों की पहचान और चयन में व्यावहारिक पहलुओं का दृष्टिकोण में रखना आवश्यक है।

इसी संदर्भ में उल्लेखनीय है कि जैव विविधता के संरक्षण को वर्तमान एवं निकट भविष्य के आर्थिक-सामाजिक एवं अन्य पहलुओं की परिस्थितियों से तालमेल बिठाकर व्यावहारिक कार्रवाई के लिये कुछ लक्ष्य निर्धारित किये गये हैं। अन्तरराष्ट्रीय स्तर पर वर्ष 2002 में ऐसा तय किया गया है कि हरेक भू-भाग में उपलब्ध सभी प्रकार के पारितंत्र क्षेत्रों में वर्ष 2030 तक औसतन 30% हिस्सों को जैव विविधता तथा पारिस्थितिकीय संरक्षण एवं पुनर्स्थापन के लिये प्रतिबद्ध किया जायगा। अर्थात् प्राकृतिक पहाड़-पठार, वन, नदी एवं झील इत्यादि तथा ग्रामीण कृषि क्षेत्र एवं शहरों में उपयुक्त तरीकों से लगभग 30% हिस्सों में युक्तिसंगत रूप में जैव विविधता के अवयवों तथा उनके लिये अधिवासों का संरक्षण, बचाव एवं उन्हें बहाल किया जाना लक्षित है।

इस लक्ष्य की जमीनी स्तर पर प्राप्ति के लिये विशेष सुनियोजित प्रयास अपेक्षित है। इसी में हमें चुनौतियों का सामंजस्य से समाधान करना है तथा उपलब्ध अवसरों का लाभ उठाना है।

जैव विविधता से जुड़े अथवा सुसंगत योजना, मिशन एवं कार्यक्रम जिनमें जैव विविधता संरक्षण के व्यावहारिक क्रिया-कलापों का समावेश है एवं इनके सर्वर्धन का सुनियोजित प्रयास अपेक्षित है।

- जल जीवन हरियाली मिशन
- कृषि रोड मैप –
 - जैविक खेती प्रणाली (Organic Farming)
 - समन्वित खेती प्रणाली (Integrative Farming)
 - पशुओं के उपयोगी स्थानीय देशज नस्लों की पहचान, उनका संरक्षण तथा विस्तार
 - फसलों के उपयोगी स्थानीय देसी किस्मों की पहचान, उनका संरक्षण और प्रसार
 - Mission Millet
 - Climate Resilient Farming
- आर्द्रभूमि संरक्षण – झील, ताल, एवं उनके संलग्न नम-क्षेत्रों का संरक्षण और पुनर्स्थापन
- वन्य जैव विविधता संरक्षण
 - वनों एवं वन्य जीवों के आश्रय क्षेत्रों का संरक्षण
 - लुप्तप्राय या संकटापन्न वनस्पति प्रजातियों तथा जन्तुओं का संरक्षण
 - जलीय अधिवासों और जलीय लुप्तप्राय या संकटापन्न जन्तुओं का संरक्षण

■ शहरी जैव विविधता संरक्षण

- नदी तटबन्ध तथा झील एवं तालाबों का संरक्षण
- वृक्षों का संरक्षण और विकास
- उद्यानों एवं पार्कों का विकास

■ Mission Life

- Lifestyle for Environment (पर्यावरण हितैषी जीवनशैली)



आई.टी.सी. परिसर मुगेंर में अवस्थित विशिष्ट बरगद वृक्ष

जैव विविधता प्रबंधन से संबंधित वैधानिक प्रावधान

1. जैव विविधता अधिनियम, 2002

जैव विविधता कन्वेंशन (सी०बी०डी०) का सदस्य राष्ट्र होने की प्रतिवद्धता तथा कन्वेंशन के उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु भारत की संसद द्वारा **जैव विविधता अधिनियम, 2002** बनाया गया, जो दिनांक 05 फरवरी, 2003 से लागू है। वर्ष 2023 में इस अधिनियम को जैव संसाधनों तक पहुँच एवं उससे लाभ संबंधी कुछ विशिष्ट सुझावों के साथ संशोधित कर जैव विविधता (संशोधन) अधिनियम, 2023 अधिसूचित किया गया है।

जैव विविधता अधिनियम, 2002 (संशोधन 2023) के तीन मुख्य उद्देश्य निम्नवत् हैं:—

क. जैव विविधता का संरक्षण। (Conservation of Biodiversity)

ख. जैव विविधता का पोषणीय/संवहनीय उपयोग। (Sustainable use of Biodiversity)

ग. जैव/आनुवांशिक संसाधनों के उपयोग से प्राप्त लाभ का उचित एवं न्यायसंगत हिस्सेदारी। (Equitable Benefit Sharing)

2. जैव विविधता नियम, 2004

जैव विविधता अधिनियम, 2002 के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिये केन्द्र सरकार द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 62 के तहत **जैव विविधता नियम, 2004** अधिसूचित है। इस नियमावली द्वारा केन्द्र में जैव विविधता प्राधिकरण के गठन तथा उसके दायित्वों को परिभाषित किया गया है। इसके अतिरिक्त जैवीय संसाधनों और सहबद्ध पारम्परिक ज्ञान तक पहुँच एवं उससे उत्पन्न लाभ की हिस्सेदारी, आदि के संबंध में भी प्रक्रिया का निर्धारण किया गया है।

3. जैव विविधता अधिनियम के प्रयोजनार्थ प्राधिकृत पदाधिकारी (Authorised Officer) की घोषणा।

जैव विविधता अधिनियम, 2002 के प्रावधानों को क्रियान्वित करने हेतु अधिनियम की धारा 61 के खण्ड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधिनियम के अन्तर्गत शिकायत दर्ज करने हेतु वनों के क्षेत्र पदाधिकारी से अन्यून स्तर के वन अधिकारी को भारत सरकार के कार्यालय आदेश संख्या—120(अ) दिनांक 07.01.2009 द्वारा प्राधिकृत अधिकारी के रूप में अधिसूचित किया गया है।

4. जैविक संसाधनों तक पहुँच एवं सहयुक्त जानकारी तथा फायदा बांटना विनियम, 2014

अधिनियम, 2002 की धारा 18 के साथ पठित धारा—64 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग कर पुनः केन्द्र सरकार द्वारा जैविक संसाधनों तक सहयुक्त जानकारी फायदा के बँटवारा की प्रक्रिया के निर्धारण हेतु विनियम, 2014 अधिसूचित किया गया है।

5. बिहार जैव विविधता नियमावली, 2017

अधिनियम, 2002 की धारा 63 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार सरकार द्वारा **बिहार जैव विविधता नियमावली, 2017** अधिसूचित किया गया है। इस नियमावली में राज्य स्तर पर बिहार राज्य जैव विविधता पर्षद् तथा स्थानीय निकायों में जैव विविधता प्रबंधन समितियों के गठन तथा उसके दायित्व उल्लिखित हैं। इसके अतिरिक्त नियमावली में जैव संसाधनों तक पहुँच एवं लाभ में हिस्सेदारी की प्रक्रिया, जैव विविधता विरासत स्थल की स्थापना एवं प्रबंधन आदि का भी निर्धारण किया गया है।

6. जैव विविधता अधिनियम के प्रयोजनार्थ नाभिक पदाधिकारी (Nodal Officer) की घोषणा।

बिहार राज्य में गठित जैव विविधता प्रबंधन समितियों के विभिन्न विषयों/कार्यों के पर्यवेक्षण हेतु प्रादेशिक क्षेत्राधिकार वाले सभी वन प्रमण्डल पदाधिकारी/उप वन संरक्षक (वन्य प्राणी प्रमण्डलों सहित) को जैव विविधता अधिनियम के प्रयोजनार्थ पर्यावरण, वन एवं जलावयु परिवर्तन विभाग, बिहार सरकार की अधिसूचना संख्या-992(ई) दिनांक 28.08.2020 द्वारा नाभिक पदाधिकारी घोषित किया गया है।

1. जैव विविधता (संशोधन) अधिनियम, 2023

अनुवांशिक संसाधनों तक पहुँच तथा उनके उपयोग से होने वाले फायदों के न्याय संगत सामाकरण एवं अन्य विशिष्ट सुझावों के समावेश हेतु वर्ष 2002 के अधिनियम में व्यापक संशोधन कर वर्ष 2023 में **जैव विविधता (संशोधन) अधिनियम, 2023** अधिसूचित किया गया है।

जैव विविधता प्रबंधन संरचना

राष्ट्र एवं राज्यों में जैव विविधता के संरक्षण, उसके अवयवों के पोषणीय उपयोग से प्राप्त वित्तीय फायदों के उचित एवं साम्यापूर्ण बँटवारा के लिये जहाँ केन्द्र एवं राज्य सरकारों द्वारा जैव विविधता नियमावली अधिनियम तथा नियम अधिसूचित किया गया है, वहीं इसके प्रबंधन हेतु **त्रिस्तरीय व्यवस्था** निर्धारित की गयी है—

1. **राष्ट्र स्तर** —राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण जिसका मुख्यालय चेन्नई, तमिलनाडु में है।
2. **राज्य स्तर** —बिहार राज्य जैव विविधता पर्षद् जिसका मुख्यालय पटना है।
3. **स्थानीय निकाय स्तर** —

ग्रामीण निकाय —पंचायत, प्रखण्ड तथा जिला परिषद स्तर पर गठित **जैव विविधता प्रबंधन समितियाँ**।

नगर निकाय — नगर पंचायत, नगर परिषद, नगर निगम स्तर पर गठित **जैव विविधता प्रबंधन समितियाँ**।

बिहार राज्य जैव विविधता पर्षद्

भारत सरकार द्वारा अधिसूचित “जैव विविधता अधिनियम, 2002” की धारा-22 (1) तथा बिहार सरकार द्वारा अधिसूचित “बिहार जैव विविधता नियमावली 2017” के नियम 3 के तहत “**बिहार राज्य जैव विविधता पर्षद्**” का गठन पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, बिहार सरकार की अधिसूचना संख्या 1045 (ई), पटना दिनांक 19.12.2017 द्वारा किया गया है। पर्षद् का मुख्यालय ‘पटना’ है।

बिहार राज्य जैव विविधता पर्षद् एक वैधानिक एवं स्वायत्त निकाय है जिसकी भूमिका हितधारकों को अपेक्षित सहयोग, विनियामक तथा सलाहकार का है।

2. राज्य जैव विविधता पर्षद् की संरचना:—

- (क) राज्य सरकार द्वारा नियुक्त अध्यक्ष ।
- (ख) राज्य सरकार द्वारा नियुक्त सात से अनाधिक पदेन सदस्य (2023 संशोधन) निम्नलिखित विभागों के प्रधान सचिव / सचिव
1. कृषि विभाग, बिहार
 2. पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, बिहार
 3. पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग, बिहार
 4. जल संसाधन विभाग, बिहार
 5. पंचायती राज विभाग, बिहार
 6. आदिवासी कल्याण विभाग, बिहार
 7. प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन बल प्रमुख), बिहार, पटना ।
- (ग) राज्य सरकार द्वारा नियुक्त जैव विविधता के विशेषज्ञों में से पांच से अनाधिक सदस्य ।

3. राज्य जैव विविधता पर्षद् का दायित्व :—

1. जैव विविधता अधिनियम तथा उसके तहत अधिसूचित नियमावली एवं अन्य अनुदेशों का निर्वहन ।
2. प्रदत्त शक्तियों का उपयोग कर राज्य में जैव विविधता का संरक्षण एवं सम्वर्धन, जैव संसाधनों तथा उनसे संबंधित पारम्परिक ज्ञान तक पहुंच की प्रक्रिया का निर्धारण ।
3. जैव संसाधनों के वाणिज्यिक उपयोग से होने वाले फायदा को हितधारकों के बीच बांटने के ढंग का निर्धारण ।

बिहार राज्य में स्थानीय निकायों की व्यवस्था

1. स्थानीय निकाय का तात्पर्य भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 (ख) (1) में ग्रामीण क्षेत्रों हेतु तीन स्तरीय पंचायती व्यवस्था (ग्राम पंचायत, ब्लॉक समिति तथा जिला परिषद) तथा अनुच्छेद 243 (थ) (1) में शहरी क्षेत्रों हेतु नगर पालिकाओं (नगर पंचायत, नगर पालिका परिषद् तथा नगर निगम) से है ।
2. बिहार राज्य में वर्तमान में स्थानीय निकायों की संख्या निम्नवत् है:—

पंचायती राज निकाय

ग्राम पंचायत—	8053
पंचायत समिति—	533
जिला परिषद—	38
कुल—	8624

शहरी निकाय

नगर पंचायत—	154
नगर परिषद—	88
नगर निगम—	19
कुल—	261

स्थानीय निकायों की कुल संख्या :— 8885

3. जैव विविधता प्रबंधन में स्थानीय निकायों का सामाजिक, आर्थिक एवं वैयक्तिक विकास में प्रमुख भूमिका है। योजनाओं के क्रियान्वयन में उनकी सहभागिता स्थानीय समुदाय को निर्णय लेने में सक्षम बनाता है।
4. ग्रामीण क्षेत्रों में जैव विविधता प्रबंधन समितियों के गठन का दायित्व पंचायती राज विभाग, बिहार सरकार का है, जबकि शहरी क्षेत्रों में यह कार्य नगर विकास विभाग, बिहार सरकार के तत्वाधान में किया जाना है।

जैव विविधता प्रबंधन समितियाँ (Biodiversity Management Committees- BMCs)

अधिनियम की धारा 41 के अनुसार, प्रत्येक स्थानीय निकाय अपने क्षेत्र के लिए जैव विविधता प्रबंधन समिति (Biodiversity Management Committee- BMC) का गठन करेगा, जिसका उद्देश्य जैव विविधता के संरक्षण, संवहनीय उपयोग एवं अभिलेखन को बढ़ावा देना है।

जैव विविधता अधिनियम को जमीनी स्तर पर कार्यान्वित करने हेतु बी०एम०सी० का गठन एक महत्वपूर्ण बुनियादी व्यवस्था है तथा इसकी वैधानिक स्थिति स्वायत्तशासी निकाय के रूप में है।

जैव विविधता प्रबंधन समिति की संरचना

1. बी.एम.सी. के गठन हेतु सर्वप्रथम सम्बन्धित स्थानीय निकाय के अध्यक्ष द्वारा स्थानीय निकाय की एक आम बैठक बुलायी जाएगी।
2. बैठक में आम सहमति से अधिकतम 06 व्यक्तियों को समिति का सदस्य चयनित किया जाएगा, जिनका नाम सम्बन्धित स्थानीय निकाय की मतदाता सूची (वोटर लिस्ट) में अवश्य होने चाहिए। समिति की संरचना निम्नवत् होगी:—

1	अध्यक्ष (किसी भी वर्ग का) — 1
2	महिला सदस्य (किसी भी वर्ग का) — 2
3	अनु० जा०/ अनु० जन जा० सदस्य — 1
4	सदस्य (किसी भी वर्ग का) — 2

3. विभिन्न स्तरों पर गठित जैव विविधता प्रबंधन समितियों के सदस्य सचिव स्थानीय निकायों के निम्नलिखित पदाधिकारी होंगे—

ग्राम पंचायत	— पंचायत सचिव
पंचायत समिति	— प्रखण्ड विकास पदाधिकारी
जिला परिषद	— जिला परिषद् के मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी
नगर निकाय	— संबंधित नगर निकाय के मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी
4. इस प्रकार प्रत्येक बी०एम०सी० में सचिव सहित कुल 07 सदस्य होंगे।

5. जैव विविधता प्रबंधन समिति के अध्यक्ष को समिति के सदस्यों द्वारा चुना जाएगा। उस बैठक की अध्यक्षता स्थानीय निकाय का अध्यक्ष करेंगे। स्थानीय निकाय के अध्यक्ष के पास समान मत होने की स्थिति में निर्णायक मत का अधिकार होगा। जैव विविधता प्रबंधन समिति के सचिव को मत देने का अधिकार नहीं होगा।

बी०एम०सी० का कार्यकाल

1. बी०एम०सी० का कार्यकाल 05 वर्ष / यानी स्थानीय निकाय के कार्यकाल के समरूप होगा। नई समिति के गठन होने तक पूर्व गठित समिति यथावत कार्य करती रहेगी।
2. स्थानीय निकायों का कार्यकाल समाप्त होने की स्थिति में जैव विविधता प्रबंधन समितियों का कार्यकाल स्थानीय निकायों के कार्यों के निष्पादन हेतु सरकार द्वारा गठित "परामर्शी समिति" के कार्यकाल तक विस्तारित होगा।
3. बी०एम०सी० के अध्यक्ष का कार्यकाल समिति के कार्यकाल के समरूप होगा

जैव विविधता प्रबंधन समिति (बी०एम०सी०) की भूमिका एवं कर्तव्य :-

1. जन जैव विविधता पंजी (पी०बी०आर०) (People's Biodiversity Register/ PBR) तैयार करना।
2. जन जैव विविधता पंजी का नियमित संधारण एवं सत्यापन करना।
3. जैविक संसाधनों के वाणिज्यिक उपयोग से उत्पन्न लाभ का प्रबन्धन।
4. जन जैव विविधता पंजी में अभिलिखित पारम्परिक ज्ञान का संरक्षण।
5. स्थानीय जैव विविधता की पूर्व अवस्था बहाल करने की कोशिश करना।
6. बौद्धिक सम्पदा अधिकार, पारम्परिक ज्ञान तथा जैव विविधता से सम्बन्धित स्थानीय मुद्दों पर प्रतिक्रिया अथवा सूचना राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण/राज्य जैव विविधता पर्वद को उपलब्ध कराना।
7. आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण वनस्पतियों/जीव-जन्तुओं के पारम्परिक/देसज किस्मों/नस्लों का संरक्षण।
8. वाणिज्यिक एवं अनुसंधान प्रयोजनों के लिए जैविक संसाधनों तथा/अथवा सम्बद्ध पारम्परिक ज्ञान तक पहुंच बढ़ाना।
9. विरासत स्थलों सहित विरासतीय वृक्षों, पशुओं, पवित्र वनों एवं पवित्र जल निकायों का प्रबन्धन।
10. जैव विविधता, संरक्षण हेतु सामाजिक शिक्षा एवं जागरूकता को बढ़ावा देना।
11. जैविक श्रोतों का उपयोग करने वाले स्थानीय वैद्यों तथा चिकित्सकों से संबंधित आँकड़ा संधारित करना।

जैव विविधता प्रबंधन समिति के अधिकार

1. जैव विविधता अधिनियम की धारा 41 (3) के अनुसार बी०एम०सी० अपनी क्षेत्रीय अधिकारिता के अन्तर्गत वाणिज्यिक उपयोग हेतु जैव संसाधन एकत्रित करने वाले व्यक्ति/संस्था से संग्रहण शुल्क प्राप्त कर सकती है।

- राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण एवं राज्य जैव विविधता पर्वद स्थानीय निकाय के क्षेत्रीय अधिकारिता में उपलब्ध जैव संसाधनों तक पहुँच एवं उसके सहबद्ध ज्ञान के उपयोग के सम्बंध में निर्णय लेने से पूर्व बी०एम०सी० से परामर्श करेंगे।
- स्थानीय जैव विविधता निधि का प्रबन्धन

स्थानीय जैव विविधता निधि का प्रबन्धन

- अधिनियम की धारा-42, 43 एवं 44 द्वारा गठित एवं विनियोजित स्थानीय जैव विविधता निधि का संचालन जैव विविधता प्रबंधन समिति के अध्यक्ष के मुहर एवं हस्ताक्षर से होगा।
- जैव विविधता निधि के संचालन हेतु दो लेखा शीर्ष होंगे :—
(क) प्राधिकरण, केन्द्र एवं राज्य सरकार तथा पर्वद से प्राप्ति।
(ख) फीस तथा समिति की अन्य प्राप्तियाँ।
- समिति को प्राप्त समस्त आय को बैंक खाते में रखा जाएगा।
- राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण तथा राज्य जैव विविधता पर्वद द्वारा ग्रांट के रूप में बी०एम०सी० के खाते में राशि जमा करवाई जाएगी जिसे संबंधित बी०एम०सी० द्वारा जैव विविधता संरक्षण एवं प्रबन्धन हेतु खर्च किया जाएगा।
- बी०एम०सी० द्वारा समस्त भुगतान चेक द्वारा किया जाएगा जिस पर समिति के अध्यक्ष तथा सचिव के हस्ताक्षर सयुक्त रूप से होंगे।
- बी०एम०सी० के धन को संभालने की जिम्मेदारी समिति के सचिव की है, जो प्राप्ति जमा धनराशि के हस्तान्तरण तथा लेखा के उचित प्रकार से रख-रखाव हेतु भी उत्तरदायी होंगे।
- बी०एम०सी० के खातों का वार्षिक लेखा परीक्षण इस कार्य हेतु नियुक्त लेखा परीक्षकों से कराया जाएगा, जिसकी प्रति स्थानीय निकाय तथा राज्य जैव विविधता पर्वद को भी प्रेषित की जाएगी।

विवादों के निपटारे के लिए अपील

किसी आदेश/निर्देश या किसी नीतिगत निर्णय को लागू करने के संबंध में विवाद के निपटारे हेतु बिहार राज्य जैव विविधता नियमावली, 2017 के नियम-27 में प्रावधान निम्नवत् है :—

(क) अपीलीय प्राधिकार :—

क्र०स०	विवाद के पक्षकार	अपीलीय प्राधिकार	अपील हेतु प्रपत्र
1.	जैव विविधता समितियों के बीच	बिहार राज्य जैव विविधता पर्वद	नियमावली का प्रपत्र-IV
2.	जैव विविधता समिति एवं स्थानीय निकायों के बीच	बिहार राज्य जैव विविधता पर्वद	नियमावली का प्रपत्र-IV
3.	जैव विविधता समिति एवं जैव विविधता पर्वद के बीच	प्रधान सचिव/सचिव, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग	नियमावली का प्रपत्र- V

(ख) अपील की प्रक्रिया :-

1. अपील के ज्ञापन में निम्न सूचनाओं का उल्लेख तथा अभिलेख की संलग्नता अपेक्षित है :-
 - (i) मामले का तथ्य
 - (ii) आवेदक के अपील का आधार
 - (iii) अपेक्षित राहत का विवरण
 - (iv) उस आदेश या नीति निर्णय जिसके कारण अपीलार्थी व्यथित हुआ था, की अभिप्रमाणित प्रति
2. अपील का ज्ञापन अपीलार्थी अथवा उसके प्राधिकृत प्रतिनिधि द्वारा हस्ताक्षरित होगा।
3. आपील का ज्ञापन चार प्रतियों में निबंधित डाक से आदेश, निदेश या नीति निर्णय की तारीख से 30 दिनों के भीतर प्रस्तुत किया जायेगा।

जन जैव विविधता पंजी (पी० बी० आर०) का संधारण (People's Biodiversity Register)

बिहार जैव विविधता नियमावली, 2017 को नियम-25 (6) के अनुसार जैव विविधता प्रबंधन समिति का मुख्य कार्य स्थानीय जनों के परामर्श से “जन-जैव विविधता पंजी” तैयार करना है। इस पंजी में बी०एम०सी० के क्षेत्राधिकार में उपलब्ध सभी जैव विविधताओं, जिसमें क्षेत्र की पारिस्थितिकी, संस्कृति, अध्यात्म, औषधीय एवं अन्य पारम्परिक ज्ञान तथा जैव संसाधनों से सम्बन्धित प्रचलित स्थानीय प्रथा का अभिलेखीकरण निर्धारित प्रपत्र में किया जाएगा।

जन जैव विविधता पंजी तैयार करने के लिए पर्षद द्वारा सभी जैव विविधता प्रबंधन समितियों को मार्गदर्शन तथा तकनीकी सहायता प्रदान किया जायेगा जिसमें विभिन्न ब्योरों का विस्तृत विवरण संकलित करने हेतु प्रपत्र तैयार करना शामिल होगा। समय-समय पर जैव विविधता प्रबंधन समिति द्वारा जन जैव विविधता पंजी में पूर्व अंकित आँकड़ों/ब्योरों का सत्यापन तथा अद्यतीकरण किया जायेगा।

जैव विविधता प्रबंधन समिति द्वारा अपने क्षेत्राधिकार में उपलब्ध जैविक संसाधनों तथा पारम्परिक ज्ञान तक प्रदान किये गये पहुँच का विस्तृत विवरण एक अलग पंजी में संधारित किया जायेगा, जिसमें अधिरोपित संग्रहण फीस, उनसे व्युत्पन्न लाभों तथा उनके हिस्सेदारी की पद्धति की विस्तृत विवरणी की प्रविष्टि सम्मिलित रहेगी।

जन-जैव विविधता पंजी, जैव संसाधनों एवं संबंधित पारंपरिक ज्ञान पर स्थानीय लोगों का अधिकार निर्धारित करने में एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है।

जैविक संसाधनों तक पहुँच, वाणिज्यिक उपयोग एवं लाभ का प्रबंधन।

जैव विविधता अधिनियम, 2002 (यथा संशोधित 2023) की धारा-18(1) और धारा 21(4) के साथ पठित धारा 64 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग कर पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा “जैविक संसाधनों तक पहुँच और सहयुक्त जानकारी तथा फायदा बंटाना विनियम, 2014” अधिसूचित किया गया है।

उक्त विनियम में किसी जैविक संसाधन तक वाणिज्यिक/अनुसंधान/जैव सर्वेक्षण के लिए पहुँच या संग्रहण के लिए उन क्षेत्रों से जो जैव विविधता प्रबंधन समिति के क्षेत्राधिकार में आते हैं के सम्बन्ध में निम्नलिखित प्रक्रिया का निर्धारण किया गया है :-

- 1 जैविक संसाधनों और/या सहयुक्त पारंपरिक जानकारी तक अनुसंधान या जैव सर्वेक्षण तक पहुँच और अनुसंधान के लिए जैव उपयोग हेतु आवेदन तथा अनुमोदन की प्रक्रिया।
- 2 वाणिज्यिक उपयोग या जैव सर्वेक्षण के लिए जैव संसाधनों तक पहुँच की प्रक्रिया।
- 3 विनियम 2 से हुए फायदा को बांटने का ढंग।
- 4 फीस का संग्रहण।
- 5 जैविक संसाधनों से संबंधित अनुसंधान के परिणामों को अंतरित करने की प्रक्रिया एवं उससे फायदा को बांटने का ढंग।
- 6 बौद्धिक सम्पदा अधिकार (आई०पी०आर०) अभिप्राप्त करने की प्रक्रिया।
- 7 राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण या राज्य जैव विविधता पर्षद् से छूट प्राप्त उत्पाद, कार्यकलाप या व्यक्ति जिन्हें अनुमोदन की अपेक्षा नहीं होगी।

“जैव विविधता विरासत वृक्ष” कार्यक्रम

जैविक तंत्र में वृक्षों की विभिन्न प्रजातियाँ जैव विविधता को विविध रूप से पोषित और संरक्षित करती हैं। एक स्थापित वृक्ष या वृक्षों के समूह भी जैव विविधता के लघु अधिवास (Micro Habitats) होते हैं। इनमें जमीन के नीचे जड़ों के साथ मिट्टी में, वृक्ष के तने, शाखाओं तथा पत्तों के आच्छादन एवं इनके संलग्न वातावरण में जैव विविधता सम्पोषित और संवर्धित होती है। लम्बी आयु के वृक्षों में स्थानीय जैव-भौतिकीय परिस्थितियों के अनुरूप वानस्पतिक तथा जन्तुओं में सूक्ष्म तथा छोटे-बड़े जीवों की यथेष्ट विविधता रहती है। बिहार राज्य की घनी आबादी तथा कृषि एवं अनुषांगी भूमि उपयोग वाले राज्य में जैव विविधता के हितों के सुसाध्यीकरण में जैव विविधता विरासत वृक्षों, जो बहुसंख्य एवं विस्तीर्ण रूप से उपलब्ध हैं, की महती भूमिका का संज्ञान वांछित है।

अतएव जैव विविधता के संरक्षण हेतु तथा इनसे जुड़े भौगोलिक, ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक विशेषताओं के संदर्भ में **लम्बी आयु एवं अन्य विशिष्ट गुणों** से युक्त वृक्षों की पहचान कर उनके संरक्षण हेतु विशेष उपाय करना वर्तमान पारिस्थितिकीय समझदारी के अनुसार एकाधिक लक्ष्यों की पूर्ति हेतु अनविर्य आवश्यकता है। तद्आलोक में बिहार राज्य जैव विविधता पर्षद् द्वारा राज्य में **“जैव विविधता विरासत वृक्ष की घोषणा”** कार्यक्रम संचालित किया जा रहा है। जैव विविधता विरासत वृक्ष की पहचान तथा चयन के मानक के साथ प्रक्रिया संबंधी विस्तृत दिशा-निर्देश निर्गत किया जा रहा है।

“जैव विविधता विरासत स्थल” कार्यक्रम

जैव विविधता के संरक्षण, संवर्धन और पोषणीय उपयोग के लिए ऐसे क्षेत्रों की पहचान किया जाना आवश्यक है जो जैव विविधता, जैव संसाधनों से समृद्ध हैं और उनके अधिक उपयोग, दुरुपयोग तथा उनकी उपेक्षा द्वारा उन्हें खतरा पैदा होता जा रहा है।

बिहार राज्य जैव विविधता नियमावली, 2017 के नियम 24 के अनुसार स्थानीय निकायों तथा अन्य प्रमुख भागीदारों के परामर्श से महत्वपूर्ण जैव विविधता मूल्यों वाले क्षेत्रों का **“विरासत स्थल”** के रूप अधिसूचित किया जाना प्रावधानित है। इस संबंध में विस्तृत दिशा-निर्देश निर्गत किया गया है।

जैव विविधता प्रबन्धन समितियों के लिए अपने पंचायतों / नगर क्षेत्रों में जैव विविधता सम्बन्धी कृष्ट व्यावहारिक तथ्य एवं किये जाने वाले क्रिया-कलाप – आवश्यकता, अवसर और चुनौतियाँ

जैव विविधता के संरक्षण, जैव संसाधनों के पोषणीय उपयोग तथा जैव/अनुवांशिक संसाधनों के उपयोग से प्राप्त लाभ के उचित एवं न्याय संगत वितरण के लिये विभिन्न अधिनियम एवं नियमावली में प्रावधान किये गये हैं। इन उद्देश्यों की धरातल पर पूर्ति हेतु जैव विविधता प्रबन्ध समितियों की भूमिका महत्वपूर्ण है।

वैसे तो नियमों/प्रावधानों में जैव विविधता प्रबन्ध समितियों के दायित्व/कर्तव्य वर्णित हैं, परन्तु जैव विविधता के व्यापक आयाम के परिदृश्य में यह आवश्यक है कि स्थानीय निकाय के क्षेत्रों में क्षेत्र विशेष की विभिन्न जैव विविधता सम्बन्धी तथ्यों तथा पहलुओं की पहचान कर उनके संरक्षण के गहन उपाय किये जाएँ। यही कारण है जैव विविधता प्रबन्ध समितियों को वैधानिक रूप से सशक्त बनाया गया है।

अतएव समितियों के लिए निर्धारित वृहत् दायित्व के मध्य जैव विविधता के संरक्षण की दिशा में सफल एवं त्वरित प्रयास हेतु क्षेत्र विशेष की आवश्यकता, अवसर और चुनौतियों की पहचान एवं व्यावहारिक कार्यकलाप अपनाया जाना श्रेयष्कर है।

भले ही जैव विविधता की अवधारणा वैज्ञानिक समझ से हाल में प्रचलित हुई और इसके लिये नीति और कानून बनाये गये, हमारे पंचायतों में जैव विविधता के व्यावहारिक अवयवों का ज्ञान एवं अनुभव आधारित समझ-बूझ पहले से रही है। विगत दशकों में औद्योगिक और शहरीकरण प्रक्रियाओं में इनकी उपेक्षा हुई है।

पंचायतों एवं नगर निकायों में जैव विविधता तथा संतुलित पारितंत्र से जुड़े मुद्दे समस्याएँ, चुनौतियाँ तथा अवसर विद्यमान हैं। जैव विविधता प्रबन्धन समितियों द्वारा सहजता से इन्हें पहचान कर अपेक्षित कार्रवाई/पहल अपने पंचायत के स्तर पर तथा आवश्यकतानुसार सरकारी विभागों तथा जैव विविधता पर्षद् के सहयोग एवं मार्गदर्शन के कराया जाना वांछित है। इस प्रयोजन से प्रमुख बिन्दु निम्नवत् रेखांकित किये जा रहे हैं :-

(1) प्राकृतिक और अर्द्ध-प्राकृतिक स्वरूप के स्थलों का संरक्षण तथा उनके ह्रास को रोकना एवं उनका पारिस्थितिकीय पुनर्स्थापन करना।

- अपने पंचायत में उपलब्ध झील, ताल, नम भूमि/आर्द्रभूमि, नदी और नदी तट, नदियों का संगम/मिलान स्थान, पहाड़ी, शिलाखण्ड तथा उनसे संलग्न जंगल एवं झरना इत्यादि को यथा संभव प्राकृतिक अवस्था में सुरक्षित रखने के उपाय किये जायें।
- नदी, झील एवं संलग्न आर्द्रभूमि वाले स्थलों को अतिक्रमण तथा प्रदूषण से मुक्त की जाये। इन जलीय एवं आर्द्रभूमि भू-भाग में प्राकृतिक रूप से मौसमी जलागम तथा जल निकास के प्रक्रिया/चक्र को सुरक्षित रखा जाये एवं इन्हें फिर से बहाल करने के लिये युक्ति संगत उपाय किये जायें।
- इसी प्रकार पहाड़ियों एवं शिलाखण्डों वाले स्थलों को भी जैव विविधता के पारितंत्र के अवयव के रूप में पहचान दी जाये एवं यथासंभव इन्हें प्राकृतिक अवस्था की वनस्पति के साथ संरक्षित रखा जाना विचारणीय है।
- इनमें यदि किसी स्थल की विशेषता आपके प्रखण्ड या जिले के लिये विलक्षण अथवा अनूठे हों, तो उन्हें “जैव विविधता विरासत स्थल” घोषित कराने का प्रस्ताव वन प्रमण्डल पदाधिकारी को दिया जा सकता है।

(2) कृषि, पशु एवं मतस्य संसाधन में जैव विविधता

- **देशज किस्मों का संरक्षण:**— अपने पंचायत में खेती-बाड़ी में देसज किस्म के अनाज, दलहन, तेलहन, शाक-सब्जी, फल-फूल एवं कन्द मूल इत्यादि जो अब विलुप्त हो रहे हों, उनकी सूचना बिहार राज्य जैव विविधता पर्षद् को दी जाय। इसमें सम्बन्धित स्थान, मौसम, पैदावार, तथा किसान का विवरण भी दिया जाय। इनसे सम्बन्धित उपलब्ध स्थल यदि प्रखण्ड या जिले में विरले हैं, तो इनको भी “जैव विविधता विरासत स्थल” में सम्मिलित करना विचारणीय होगा।
- **जैविक कृषि का प्रोत्साहन:**— जैविक खेती प्रणाली से जैव विविधता संरक्षण का सीधा सम्बन्ध है। अतएव पंचायत में जैविक खेती को प्रोत्साहित किया जाये। जैविक खेती को सफलता से अपनाने वाले प्रगतिशील किसानों को पंचायत द्वारा सम्मानित कराया जाये एवं उनके सहयोग से अन्य किसानों को इसके लिये प्रेरित किया जाये।
- **मछुआही-मतस्यपालन के अन्तर्गत विलुप्त हो रहे मछली के प्रजातियों की पहचान कर** इनकी सूचना बिहार राज्य जैव विविधता पर्षद् को दी जाय।
- **ऐसी प्रजातियों से सम्बन्धित नदी अंश, ताल-झील-बील-मांन पोखर-तालाब एवं अन्य जलकर स्थलों की पहचान कर** उनके संरक्षण के उपाय किये जायें। ऐसे स्थल यदि प्रखण्ड या जिले में विरले हैं, तो इनको भी “जैव विविधता विरासत स्थल” में सम्मिलित करना विचारणीय होगा।
- **किसी पशु प्रजाति का देशी नस्ल जो किन्हीं दृष्टिकोण से उपयोगी हो परन्तु उसकी तादाद घट रही हो,** तो इसकी सूचना जिला पशुपालन पदाधिकारी एवं बिहार राज्य जैव विविधता पर्षद् को दी जाये। साथ ही पंचायत स्तर पर इनके संरक्षण के उपाय किये जायें।
- **जड़ी-बूटी:** पंचायत में पाये जाने वाले पारम्परिक उपयोग के जड़ी-बूटी जिनकी उपलब्धता कम हो रही है, उनकी पहचान कर उनके संरक्षण के उपाय किये जायें।

(3) वृक्ष प्रजातियों की जैव विविधता:—

- पंचायत में विलुप्त हो रहे वृक्ष प्रजातियों की पहचान की जाय तथा वन विभाग एवं बिहार राज्य जैव विविधता पर्षद् के परामर्श से उनके संरक्षण के युक्तिसंगत उपाय किये जायें।
- पंचायत में विभिन्न प्रजातियों के विशाल तथा लम्बी आयु के वृक्षों को विरासत वृक्षों की पहचान एवं घोषणा हेतु वन प्रमण्डल पदाधिकारी के माध्यम से प्रस्ताव बिहार राज्य जैव विविधता पर्षद् को दी जाये।

(4) “जन जैव विविधता पंजी” का उपयोग:—

- उपर्युक्त सभी क्रिया-कलापों को सुनियोजित तरीके से करने का माध्यम “जन जैव विविधता पंजी” है। अतएव पंचायत की “जन जैव विविधता पंजी” जब अपेक्षित जानकारी से परिपूर्ण रहेगी एवं समय-समय पर इसे अद्यतन किया जायेगा, तो पंचायत में जैव विविधता संरक्षण के कार्यों को जमीनी स्तर पर करना सुलभ होगा।

(5) जैव विविधता संबंधी स्थानीय पारम्परिक ज्ञान एवं कौशल:—

- जैव विविधता और पारितंत्र की उपयोगिता के बारे में यह जागृति आई है कि हमारी जीवन शैली और संस्कृति में बहुत से काफी उपयोगी स्थानीय पारम्परिक कौशल और ज्ञान हैं, जो हाल के दशकों में औद्योगिक तथा शहरीकरण के विस्तार में विलुप्त हो रहे हैं। ऐसे उपयोगी स्थानीय

कौशल और ज्ञान को पहचान कर सर्वप्रथम उन्हें लिखित रूप से संरक्षित करना आवश्यक है। इनके आधार पर ही आधुनिक वैज्ञानिक तथा तकनीकी प्रक्रियाओं और पद्धति के साथ इन उपयोगी स्थानीय पारम्परिक कौशल और ज्ञान को संयोजित कर पारितंत्र, पर्यावरण के आयामों को जैव विविधता प्रबंधन के माध्यम से संतुलित और संरक्षित किया जा सकता है।

■ अतएव इस उद्देश्य से पंचायत में खेती बाड़ी, जंगल से संग्रहित जड़ी-बूटी, कन्द-मूल इत्यादि पशुओं के पालन पोषण इत्यादि से सम्बंधित **उपयोगी स्थानीय पारम्परिक कौशल और ज्ञान** जो अभी तक लोकोक्ति में ही उपलब्ध है, उन्हें अभिलेखित किया जाना अपेक्षित है। विशिष्टता वाली ऐसी सूचनाओं की जानकारी बिहार राज्य विविधता पर्षद को उपलब्ध करायी जाये।

(6) खान-पान शैली में जैव विविधता का संदर्भ:-

- जैव विविधता का संबंध हमारे खान-पान और पोषण से भी है। किसी समय में मोटे अनाजों (Millets) का उपयोग भोजन में काफी किया जाता था। कालान्तर में यह घटने लगा और गेहूँ, चावल और मक्का का वर्चस्व कृषि उत्पादन और भोजन उपयोग में बढ़ गया। हाल में पोषण तथा पर्यावरण संबंधी कुछेक लाभ के दृष्टिकोण से इन मोटे अनाजों (Millets)– महुआ, जौ, कुर्ची, बाजरा इत्यादि की उपयोगिता पहचानी गयी। अभी मोटे अनाजों को कृषि तथा खान-पान में बढ़ाने हेतु सरकार द्वारा देश भर में अभियान चलाया जा रहा है।
- हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में मोटे अनाजों के साथ साथ खेती-बाड़ी के कुछेक अन्य उत्पाद-शाक-सब्जी, फल-फूल तथा कन्द मूल भी खान-पान और पोषण की विविधता के लिए युक्तिसंगत हैं।
- अतएव पंचायत में खान-पान की शैली में कुछ अंश में ऐसे स्थानीय खेती बाड़ी के अनाज, शाक सब्जी तथा कन्दमूल को प्रोत्साहित किया जा सकता है, जो स्वास्थ्य के लिए उपयुक्त थे, परन्तु आधुनिक खान-पान की शैली में विभिन्न कारणों से दरकिनार या उपेक्षित होने लगे हैं। खान-पान शैली में स्थानीय जैव विविधता के उपयोग को बढ़ावा देने से इनके उत्पादन में भी वृद्धि होगी और कृषि प्रणाली में जैव विविधता के संवर्धन का लाभ मिलेगा।

(7) जैविक संसाधनों का वाणिज्यिक उपयोग:-

- प्राकृतिक रूप से उपलब्ध अथवा खेती में उगाय गये जड़ी-बूटी एवं पेड़-पौधों से संग्रहित वनस्पतिक उत्पादों के वाणिज्यिक उपयोग हेतु उनके व्यापार की सूचना का अभिलेखन किया जाय। इसकी जानकारी बिहार राज्य जैव विविधता पर्षद को उपलब्ध करायी जाये। ऐसी जानकारी उपलब्ध होने पर इन वाणिज्यिक क्रिया-कलाप से होने वाले मुनाफे में पंचायत की हिस्सेदारी जैव विविधता कानून के अनुसार अनुमान्य है या नहीं, इसे तय किया जा सकेगा तथा अनुमान्य होने पर हिस्सेदारी सुनिश्चित की जा सकेगी। वर्तमान में भागलपुर जिले के पीरपैती प्रखण्ड में यह व्यवस्था व्यवहार में है।

(8) जैव विविधता के लिये नुकसानदेह अवैध एवं असामाजिक क्रिया-कलापों की रोकथाम

पंचायत स्तरों पर गठित जैव विविधता प्रबन्धन समितियाँ अपने क्षेत्र में विविध निम्नांकित क्रिया-कलाप, जो जैव विविधता के लिये नुकसानदेह हैं, उनकी रोकथाम में सक्रिय रूप से प्रभावी

हो सकती हैं —

- पक्षियों का शिकार और व्यापार
- नदियों से कछुआ / कुर्म का शिकार और व्यापार
- वन्य जन्तुओं का शिकार और उनके अंगों का व्यापार
- नदियों, जलकरों में मतस्य विभाग के दिशा-निर्देश के उल्लंघन में प्रतिबद्ध मौसम एवं प्रतिबद्ध हिस्सों में मछुआही करना
- सरकारी भूमि में स्थित आर्द्रभूमि का अतिक्रमण और उसका स्वरूप परिवर्तन

इनके सम्बन्ध में पंचायत स्तर पर विधि सम्मत कार्रवाई करना तथा आवश्यकतानुसार सम्बन्धित विभाग को सूचना देना तथा उनसे सहयोग किया जाना वांछित है।

(9) सरकारी विभागीय पदाधिकारियों से सम्पर्क एवं सहयोग:—

सरकारी नीति एवं कार्यक्रमों में वन एवं वन्य जीव, कृषि, पशु एवं मतस्य संसाधन के प्रबन्धन में जैव विविधता के संरक्षण को प्राथमिकता प्रदान की जा रही है। अतएव अपने पंचायत में इन तीनों

- विषयों में जैव विविधता के संरक्षण हेतु कृषि विभाग, पशु एवं मतस्य संसाधन विभाग तथा वन विभाग के स्थानीय पदाधिकारियों से सक्रिय सम्पर्क, समन्वय एवं सहभागिता की जाये।

(10) जैव विविधता संसाधनों के व्यापार तथा वाणिज्यिक उपयोग में उचित दाम की प्राप्ति तथा उनके मूल्य संवर्धन के उपाय:—

- जैविक संसाधनों — विशेष रूप से औषधीय उपयोग के वनस्पति, प्राकृतिक रूप से उपलब्ध जलीय भू-खण्डों तथा जंगल से संग्रहित उत्पादों का स्थानीय समुदाय द्वारा व्यापार एवं वाणिज्य में विभिन्न कारणों से उचित मूल्य नहीं मिल पाता है।
- इन कारणों में जानकारी के अभाव में उत्पादों की पहचान नहीं होना, समयबद्ध तथा वैज्ञानिक विधि से संग्रहण नहीं हो पाना, उचित भंडाराण की सुविधा का अभाव, उपचार तथा प्रसंकरण की तकनीक तथा सुविधा का अभाव, उपयुक्त बाजार व्यवस्था का अभाव सम्मिलित है। इसी प्रकार कृषि एवं बागवानी के अन्तर्गत भी ऐसी विशेष जैविक उत्पादों के लिये भी अच्छे कीमत नहीं मिल पाते हैं। सम्बन्धित विभागों के कार्यक्रमों में उचित दाम की प्राप्ति सुनिश्चित करने तथा मूल्य संवर्धन हेतु सुविधा और व्यवस्था उपलब्ध कराने का प्रयास जारी है। जैव विविधता प्रबन्धन समिति द्वारा भी अपने पंचायतों में ऐसे मामलों के सम्बन्ध में पहल करते हुए सूचनाएँ एकत्र कर तथा ऐसे क्रिया-कलापों को संगठित कराकर सम्बन्धित विभागों तथा बिहार राज्य जैव विविधता पर्षद् से सम्पर्क कर इनमें अपना सक्रिय योगदान कर सकते हैं।

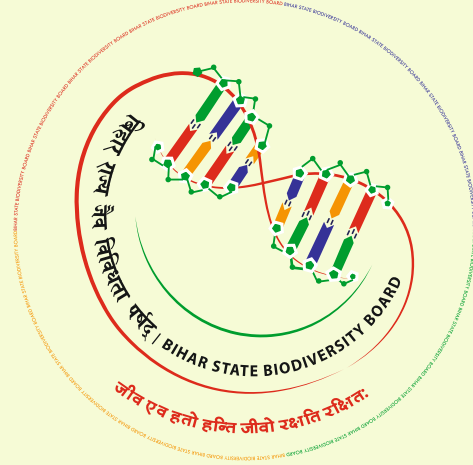
ऊपर वर्णित मुद्दे, चुनौतियाँ और अवसर सभी जैव विविधता प्रबंधन समितियों के लिए किसी न किसी रूप में अपने पंचायत या नगर क्षेत्र के लिए वहां की स्थानीय परिवेश और परिस्थिति के अनुसार प्रासंगिक है।

- इनके सम्बन्ध में पंचायती राज सरकार के अंग होने के नाते स्थानीय तौर पर जैव विविधता प्रबंधन समितियों द्वारा स्वप्रेरण से कार्रवाई तथा प्रयास किये जा सकते हैं।
- कई मामलों में प्रभावी कार्रवाई एवं संबंधित मुद्दों पर निर्णय या उनका समाधान पंचायत के स्तर पर ही हो सकता है। पंचायत में संचालित विभिन्न सरकारी कार्यक्रमों से भी इन्हें जोड़ा जा सकता है।
- कुछेक विषयों तथा मुद्दों पर प्रखण्ड स्तरीय या जिला स्तरीय कृषि, पशुपालन, मतस्यिकी तथा वन एवं पर्यावरण विभाग के पदाधिकारी से मार्गदर्शन और सहयोग की आवश्यकता होगी। प्रबन्धन समिति इन विभागों से इनके लिए सम्पर्क कर अपेक्षित दिशा निर्देश तथा सहायता प्राप्त कर सकती है जिन कार्यों के लिए विशेष सहयोग, समर्थन (वित्तीय सहायता सहित) तथा मार्गदर्शन की आवश्यकता हो, तो इनके लिए बिहार राज्य जैव विविधता पर्षद से सम्पर्क किया जाना चाहिए।



पृथ्वी हमें विरासत के रूप में नहीं, धरोहर के रूप में मिली है।
आइये पृथ्वी की जैव विविधता का संरक्षण करें।





बिहार राज्य जैव विविधता पर्षद्

(पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, बिहार सरकार)

चतुर्थ तल, बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड परिसर
शास्त्री नगर, पटना- 800 023

Website:- <https://bsbb.bihar.gov.in/>, E-mail :- bmc.bsbb@bihar.gov.in

Phone : 0612-2952412

Contact for Any Query:- +91 9470405190